न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04 / 2026

स्टेट जरिये बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़

——प्रार्थी

बनाम

श्री हेतराम पुत्र श्री जयराम दास निवासी वार्ड नं. 52, हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः—1 श्री प्रवर्तन अधिकारी स्वयं।
2 श्री रविन्द्र जौल अभि. अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः —30.04.2026

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.03.2026 को श्री मनीष सिंगला निरीक्षक, पुरूषोत्तम प्रवर्तन निरीक्षक व श्री नरेश कुमार शर्मा अति. प्रशासनिक अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों की कालाबाजारी की जांच बाबत श्री हेतराम पुत्र श्री जयराम दास के घर वार्ड नं. 52 हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर हेतराम पुत्र श्री जयराम दास उपस्थित मिला। मौके पर उचित मुल्य दुकानदार रजनी / कपिल पोस संख्या 18030 की उपस्थिति में श्री हेतराम के घर की तलाशी ली गई। श्री मनोज कुमार द्वारा अपनी माता श्रीमती रेखा को भी जरीये दूरभाष सूचित कर मौके पर बुलाया गया। उक्त घर के मालिक श्री हेतराम दौराने मौका जांच अनुपस्थित थे। जांच के दौरान श्री हेतराम पुत्र श्री जयराम दास के घर में 12 घरेलु एलपीजी सिलेण्डर पाये गये जिसके सम्बन्ध में पूछने पर श्री मनोज कुमार द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तथा मौके पर उक्त के सम्बन्ध में कोई वेद्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस प्रकार उक्त घरेलु एलपीजी सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण करने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 12 घरेलू गैस सिलेण्डर जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये तथा उक्त जब्तशुदा घरेलु एलपीजी सिलेण्डर श्री विष्णु पुत्र श्री रामकुमार निवासी वार्ड नं. 56 हनुमानगढ़ जंक्शन डिलीवरी मैन कुलड़िया भारत गैस एजेन्सी हनुमानगढ़ जंक्शन की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने व विस्फोटक सामग्री होने के कारण अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किये कि अप्रार्थी ने उपरोक्त सिलेण्डर घर में हुए समारोह के लिए आस–पड़ौस से मांग–मांग कर इक्ट्ठा किये थे जो बाद समारोह प्रत्येक मालिक को भरवा–भरवाकर देने थे। प्रार्थी नेकनियम, इलाका हाजा का रहने वाला संभ्रात व्यक्ति है किसी प्रकार का कभी भी कोई अवैध गतिविधियों में लिप्त नहीं रहा है और कानून का पालन करता रहा है। इसी दौरान जांच होने पर बारह सिलेण्डर जब्त फरमाये गये है जो विधि विरूद्ध है। घरेलू उपयोग के लिए उक्त बारह सिलेण्डरों की अति आवश्यकता है। अतः अप्रार्थी के जब्तशुदा घरेलू गैस सिलैण्डर प्रार्थी को वापिस लौटाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अप्रार्थी से मौके पर 12 घरेलू गैस सिलेण्डर (5 भारत गैस कम्पनी, 7 इण्डैन गैस कम्पनी) जब्त किये गये है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय मौके पर इण्डैन गैस व भारत गैस कम्पनी के 12 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का अवैध भण्डारण करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा अप्रार्थी के घर से घरेलू गैस का अवैध भण्डारण का उपयोग एवं कालाबाजारी करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डर (5 भारत गैस कम्पनी, 7 इण्डैन गैस कम्पनी) को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ